

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2021 — माघ 12, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2021/18.— राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 5(1) के अधीन कलेक्टर रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त प्रशासक, नगर पालिक निगम बीरगांव नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 1-1/2021/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2021/18 दिनांक 31-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 31st January 2021

NOTIFICATION

No. F 1-1/2021/18.— In exercise of the powers conferred by section 5 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby appoint Collector Raipur as Administrator, municipal corporation Birgaon till further orders.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.